



Mob.-9415661806

D.M.T. PUBLIC SCHOOL

KASYA BYEPASS ROAD (NEAR-SOMNATH MANDIR)
DEORIA-274001 (U.P.)



Ref.....

Date 03-10-2015

सेवा में,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
सप्तम मण्डल, गोरखपुर।

विषय :- सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से मान्यता लेने की संसूचना देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी ने अपने विद्यालय डी0एम0टी0 पब्लिक स्कूल सोमनाथ मन्दिर, देवरिया को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से मान्यता के लिए आवेदन किया है जिसका आई0डी0 नं0-SL 04201617100902 हैं। स्कूल को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक से आठ तक की मान्यता मिली हुई हैं।

अतः आप महोदय को सादर सूचनार्थ अवगत कराना है।



प्रबन्धक

चित्रसेन मणि शिषी
Manager

D. M. T. Public School
Shomnath Mandir Road; Deoria

Phone: 011-22520242 (Technical Query)
Phone: 011- 22528257 (General Queries Reg. Affl.)
Fax: 011-22540655



2

E-Mail: cbse.aff@nic.in
Website: www.cbse.nic.in
Affiliation Website: www.cbseaff.nic.in

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development Govt. of India)
"SHIKSHA KENDRA", 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI - 110 301

REGD./SPEED POST
Circular No. 10

No. CBSE/AFF./Circular/2013/10/581277

Dated: 08.07.2013

To,

All the Principals of the schools affiliated to the CBSE


Sub:- Amendment in affiliation Bye-laws Rule 3.3(I) chapter II-reg.

Sir/Madam,

Consequent upon recommendations of the Affiliation Committee made in its meeting held on 24.06.2013 and subsequently approval of the Governing Body of the Board in its meeting held on 28.06.2013, the following amendment in affiliation Bye-laws of the Board has been made by the Board:

Existing Rule 3.3 (I) chapter II	Amended Rule 3.3 (I) chapter II
The school seeking provisional affiliation with the Board must have formal prior recognition of the State/U.T. Govt. Its application either should be forwarded by the State Govt. or there should be a No Objection Certificate to the effect that State Government has no objection to the affiliation of the school with the CBSE. "No Objection Certificate" once issued to any school will be considered at par even if it prescribes a specific period of *stage unless it is withdrawn. Condition of submitting a No Objection Certificate will not be applicable to categories 3.1(i) to (iv)	The school seeking provisional affiliation with the Board must have formal prior recognition of the State/U.T Govt. and also to produce evidence to this effect that the applicant school had intimated to the concerned Education Department of the State about the application made to CBSE for seeking affiliation with the Board. In case, the Board receives any objection during the process of application of the school, the Board may ask the concerned school to produce the No Objection Certificate from the State Government or otherwise it would be assumed that concerned State/U.T. Government has No objection.

The above amendment is brought to the notice of all concerned.


Principal
D. M. E. Public School
Sham Nath Mandir Road, Deoria

Yours faithfully,

(U C BODH)
DEPUTY SECRETARY (AFFL.)


Copy for information to the following:

1. The Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, 18- Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New-Delhi-110016.
2. The Commissioner, Navodaya Vidyalaya Samiti, B-15, Institutional Area, Sector-62, NOIDA-201307, District Gautam Budh Nagar, (Uttar Pradesh).
3. The Director of Education; Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi, Old Secretariat, Delhi-110054.

Contd....2....

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया।

पत्रांक:आ0लि0/8307-10 /2013-14

दिनांक - 31-12-2013

सेवा मे,

प्रबन्धक,

डी0एम0टी0 पब्लिक स्कूल, सोमनाथ मंदिर, देवरिया

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं डी0एम0टी0 पब्लिक स्कूल, सोमनाथ मंदिर, देवरिया को दिनांक 31.12.2013 से दिनांक 30.12.2016 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए कक्षा 06 से कक्षा 08 तक की अनन्तिम मान्यता का प्रदान करने की संसूचना देता हूँ :-

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यक्षीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(उपबंध 1) और निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2010 (उपबंध-2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा तीन में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यक्षीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - i. प्रवेश दिये गये किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा, या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - ii. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यक्षीन नहीं किया जायेगा।
 - iii. प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - iv. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - v. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना है।
 - vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और

- viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
 8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
कुल निर्मित क्षेत्र
क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल
कक्षाओं की संख्या
प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडारागार के लिए कक्षा
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक् शौचालय
पेयजल सुविधा
मिड-डे-मिल पकाने के लिए रसोई
बाधारहित पहुँच
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता
 9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालयों के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
 10. विद्यालयों भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
 11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
 12. स्कूल को किसी व्यक्ति व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
 13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसकी रिपोर्ट द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
 14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 01 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कोड को कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
 15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है तो जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के निर्देशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धि शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय के कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
 16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
 17. संलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
 18. किसी भी प्रकार का तथ्य गोपन प्रकाश में आता है तो दी गयी मान्यता बिना नोटिस के समाप्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।

भवदीय

(एम0ए0अंसारी)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

देवरिया।

पृ0सं0:आ0लि0 /

/2013-14/तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सहायक शिक्षा निदेशक(बे0), सप्तम मण्डल, गोरखपुर
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी, देवरिया
3. जिला अल्प संख्यक/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, देवरिया
4. खण्ड शिक्षा अधिकारी....., जनपद-देवरिया

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया।

8

प्रेषक:

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया

सेवा में

प्रबन्धक

डी०एम०टी० पब्लिक स्कूल तोमनाथा मंदिर, रोड़ देवरिया

पत्रांक/परि० ले०/ 13418-2/2009-10

दिनांक 30-3-2010


विषय:- स्थायी मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में आपको अवगत कराना है कि आपके आवेदन पत्र पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/उप बेसिक शिक्षा अधिकारी की आख्या एवं संस्तुति पर जिला मान्यता समिति ने अपनी बैठक दिनांक 10-3-10...द्वारा आपके स्वावलम्बी प्राथमिक विद्यालय को कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की कक्षाएं संचालन हेतु प्रतिबन्धों सहित स्थायी मान्यता प्रदान किया है।

- 1- किसी भी प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिका की नियुक्ति सेवा नियमावली 1975 के अन्तर्गत की जायेगी।
- 2- विभागीय नियमों/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 3- कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के पाँच अनुभागों के लिये पाँच प्रशिक्षित अध्यापकों के पद अनुमन्य होंगे। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त अनुभाग की स्वीकृति मिलने पर पद सृजन होने के बाद नियमानुसार प्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति की जाये।
- 4- निरीक्षण अधिकारियों के लिये विद्यालय खुला रहेगा।
- 5- विद्यालय में अग्निरोधक यंत्र की व्यवस्था की जाये।
- 6- शासकीय/विभागीय नियमों का पालन न करने की स्थिति में यह स्थायी मान्यता बिना किसी पूर्व नोटिस के समाप्त की जा सकेगी।

भवदीय



(ए० एन० मौर्य)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

देवरिया

पू०सं०/परि०ले०/

/2009-10

तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवरक कार्यवाही हेतु।

- 1- जिला समाज कल्याण अधिकारी, देवरिया।
- 2- जिला अल्पसंख्यक/पिछड़ा कल्याण अधिकारी, देवरिया।
- 3- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी।
- 4- सम्बन्धित स०बे०शि०अ०/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/
नगर शिक्षा अधिकारी.....देवरिया।

(ए० एन० मौर्य)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया

सेवा

सुधीर कुमार
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

तक से

शिक्षा निदेशक (बैतनिक)
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक: 08 मई, 2013

विषय अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) हिन्दी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संबंधित मानक एवं शर्तें।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-442/79-6-2011 दिनांक 19 मई, 2011 एवं उसके पत्र दिनांक 05-12-2012, दिनांक 12-02-2013 एवं दि० 30-04-2013 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं तदनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 में विहित प्रावधानों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित विचारोपरान्त पुत्र में उक्त विद्यालयों की मान्यता सम्बन्धी नियमावली एवं विभागीय निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल हिन्दी माध्यम से शिक्षा देने वाले अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) की अस्थायी/स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित मानक एवं शर्तों के निर्धारण की सहय स्वीकृति प्रदान करती हूँ -

- (1) इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त मानक एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले विद्यालयों को ही मान्यता प्रदान की जायेगी।
- (2) पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालय भी इन संबंधित मानक/शर्तों को उ०प्र० निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 लागू होने की तिथि से 03 वर्ष में अपने आर्थिक स्रोतों से पूरा करने हेतु आवश्यक खर्चम उपायों से अन्वय्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्रत्याहारित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। मान्यता प्रत्याहारण के उपरान्त इस प्रकार का विद्यालय किसी भी दशा में संचालित नहीं किया जायेगा।
- (3) विद्यालय में अग्नि शमनयंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना होगा।

12/1



Principal

D. M. T. Public School
Chamrath Mandir Road, Morla

आदेश तत्काल अनुवर्ती शैक्षिक पत्र में लागू होगा तथा उक्त आदेश में ही उन पढासी विद्यालयों के नाम भी इंगित किये जायेंगे जहाँ मान्यता प्रत्याहरित विद्यालयों के बच्चों को मानांकित कराया जायेगा। उक्त आदेश को सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी को भी अवगत कराया जायेगा तथा सर्व साधारण की जानकारी हेतु स्थानीय एवं राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापित प्रकाशित की जायेगी तथा इस वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

✓ (18) प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य सञ्ज्ञाहित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है। ✓

कृपया मान्यता के उक्त नियमों/शर्तों से सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराते हुए मान्यता प्रदान किये जाने हेतु समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

सहायक सचिव।

मन्वीय,
8/5/18
(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव

सूच्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3-अपर शिक्षा निदेशक (40), उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद।
- 4-सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 5-समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश।
- 6-समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7-शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
- 8-गार्ड फाईल।

121

आज्ञा से

(ममता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।


Principal

B. M. T. Public School
Chamanath Mandir Road, Deoria